भारत सरकार
संचार मंत्रालय
दूरसंचार विभाग

लोक सभा
अतारांकित प्रश्न सं. 556
उत्तर देने की तारीख 23 जुलाई, 2025

भारतनेट परियोजना में विलंब

556. श्री श्रीरंग आप्पा चंदू बारणेः

क्या **संचार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) क्या भारतनेट परियोजना में बार-बार विलंब हो रहा है और वर्ष 2014, 2015, 2019 और 2023 में निर्धारित समय-सीमाएँ प्राप्त नहीं की गई है;
(ख) यदि हां, तो शत-प्रतिशत ग्राम पंचायत कनेक्टिविटी प्राप्त करने के लिए संशोधित समय-सीमा का ब्यौरा क्या है;
(ग) विशेषकर चुनौतीपूर्ण क्षेत्रों में और अधिक विलम्ब से बचने के लिए किए जा रहे विशिष्ट उपायों का ब्यौरा क्या है;
(घ) भारतनेट परियोजना के अंतर्गत विशेषकर जुलाई, 2025 तक प्रदान किए गए कनेक्टिविटी की सेवा तत्परता और नियमित उपयोग के संबंध में लक्षित 2.5 लाख ग्राम पंचायतों की राज्य-वार, विशेषकर महाराष्ट्र में वर्तमान स्थिति क्या है;
(ङ) क्या नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक के और अन्य प्रतिवेदनों में भारतनेट के अंतर्गत निर्मित निधि और अवसंरचना के अल्प उपयोग को उजागर किया गया है; और
(च) यदि हां, तो सरकार द्वारा मौजूदा अवसंरचना का इष्टतम उपयोग सुनिश्चित करने और लक्षित लाभार्थियों में जागरूकता और डिजिटल साक्षरता की कमी को दूर करने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं/उठाए जा रहे हैं?

उत्तर
संचार एवं ग्रामीण विकास राज्य मंत्री
(डॉ. पेम्मासानी चंद्र शेखर)

(क) से (ग) भारतनेट देश के सुदूर क्षेत्रों तक फैली हुई एक मेगा परियोजना है जो दुर्गम इलाकों (पहाड़ी/पथरीले) के साथ-साथ वामपंथी उग्रवाद (एलडब्ल्यूई) से प्रभावित दुर्गम क्षेत्रों

को कवर करती है। राज्य एजेंसियों से, विशेष रूप से, वन क्षेत्रों में मार्ग के अधिकार की अनुमति प्राप्त होने में देरी, कोविड वैश्विक महामारी के कारण आवाजाही पर प्रतिबंध, पानी की पाइप लाइन बिछाने, सड़क चौड़ीकरण और अन्य निर्माण गतिविधियों जैसे विकास कार्यों के कारण ऑप्टिकल फाइबर केबल (ओएफसी) को नुकसान जैसे विभिन्न कारणों से परियोजना कार्यान्वयन में चुनौतियों का सामना करना पड़ा।

इस बीच, मंत्रिमंडल द्वारा संशोधित भारतनेट कार्यक्रम को मंजूरी दी गई है जिसके तहत बीएसएनएल को परियोजना प्रबंधन एजेंसी के रूप में नियुक्त करना, निगरानी के लिए केंद्रीय और राज्य नेटवर्क प्रचालन केंद्र (एनओसी) की स्थापना, रिंग टोपोलॉजी में ब्लॉक से ग्राम पंचायत तक ओएफसी कनेक्टिविटी और इसके सुचारू कार्यान्वयन को सुनिश्चित करने के लिए वैकल्पिक प्रौद्योगिकी (रेडियो/सैटेलाइट) का उपयोग शामिल है। सरकार ने दूरसंचार (मार्ग का अधिकार) नियम, 2024 को अधिसूचित कर दिया है जिससे मार्ग का अधिकार (आरओडब्ल्यू) मंजूरी प्रक्रिया सुव्यवस्थित हुई है। संशोधित भारतनेट कार्यक्रम के अंतर्गत निर्माण चरण के पूर्ण करने की समय-सीमा करार पर हस्ताक्षर की तिथि से तीन वर्ष है और उसके बाद सात वर्षों के लिए प्रचालन एवं अनुरक्षण (ओएंडएम) शुरू होगा।

(घ) भारतनेट के अंतर्गत महाराष्ट्र सहित देश भर में सेवा प्रदान करने के लिए तैयार ग्राम पंचायतों (जीपी) की कुल संख्या 2,14,325 है। भारतनेट परियोजना के अंतर्गत ब्रॉडबैंड कनेक्टिविटी उपलब्ध कराई गई ग्राम पंचायतों (जीपी) की राज्य/संघ राज्य क्षेत्र-वार सूची डिजिटल भारत निधि वेबसाइट (https://usof.gov.in/en/home) पर उपलब्ध है।

(ङ) और (च) इस मंत्रालय को आज तक भारतनेट पर कोई सीएजी लेखापरीक्षा रिपोर्ट प्राप्त नहीं हुई है।

***